न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

न. मु. 112/ 2024

1 मो. रज्जाक पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज.
2 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास तह. बीदासर जिला चूरू

अप्रार्थी

1 सदीक पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
2 सलीम पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
3 साबीर लखारा पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
4 जरीना पुत्री मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
5 हाकम अली पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
6 हसीना पुत्री मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
7 सुल्तान पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
8 रजमाना पुत्री मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
9 आरिफ पुत्र मनीर जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
10 नजमा पत्नि आमीन जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
11 समीर नाबा. पुत्र आमीन जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नजमा जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू
12 अख्तर नाबा. पुत्र आमीन जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता नजमा जाति लखारा निवासी बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

गौण अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति

उपस्थित
1 प्रार्थी :– मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 16/01/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 बाबत रेकार्ड दुरूस्ति का पेश कर निवेदन किया कि रोही ग्राम कालेरां की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 2025/955, 956, 959 कुल रकबा 10.5976 हैक्टेयर की खातेदारी मेरे पिता मनीर पुत्र गुलाबा के नाम तथा खेत खसरा नम्बर 2026/955 रकबा 1.0117 हैक्टेयर की खातेदारी मेरी माता रोशनी पत्नि मनीर के नाम तथा खेत खसरा नम्बर 1964/1352 रकबा 2.5546 हैक्टेयर में 23017/25546 हिस्सा मेरी माता रोशनी पत्नि

लगातार.....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

मनीर के नाम दर्ज रहा है मेरे पिता मनीर माता रोशनी एवं सगे भाई आमीन का स्वर्गवास होने के बाद विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने के प्रार्थना पत्र पर वारिसान की जांच पटवारी हल्का द्वारा की जाकर विरास्तन नामान्तरकरण सख्या 1503 दर्ज किया गया, जिसमें खातेदार मनीर, रोशनी एवं मेरे भाई आमीन के वारिसान का नाम रेकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटी वंश मनीर, रोशनी के कुल 11 वारिसों के हिसाब से मनीर एवं रोशनी के प्रत्येक जीवित वारिस के 1/11, 1/11 हिस्सा दर्ज किया जाना था तथा आमीन के वारिसान उनकी पत्नि नजमा व पुत्र समीर, अख्तर प्रत्येक के 1/33, 1/33, 1/33 हिस्सा दर्ज किया जाना था लेकिन लिपिकीय त्रुटी से मनीर, रोशनी और आमीन के वारिसान प्रत्येक का 1/13, 1/13 हिस्सा दर्ज हो गया है जो गलत है। खेत खसरा नम्बर 1964/1352 रकबा 2.5546 हैक्टेयर में रमजाना पुत्री मनीर का 2529/25546 हिस्सा दर्ज है उक्त रमजाना की खातेदारी में लिपिकीय त्रुटी वंश रमजाना पुत्री मनीर की बजाय रमजाना पत्नि मनीर अंकित है जबकी रमजाना मनीर की बेटी है। मनीर की पत्नि का नाम रोशनी था जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त खातेदारी खेतों में विरास्तन नामान्तरकरण लिपिकीय त्रुटी से गलत हिस्सा दर्ज होने से मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है। इसलिए मै उक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करवाना चाहता हूॅ। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि मुझ प्रार्थी के पिता मनीर, माता रोशनी के वक्त की पैतृक सम्पति है प्रार्थी उक्त खाता खसरा का रेकार्डेड खातेदार होने की हैशियत से रेकार्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादगत खेत खसरे रोही कालेरा की ढ़ाणी तहसील बीदासर जिला चूरू का खातेदार कृषक है इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त हैं। उपरोक्त खसरे रोही कालेरां की ढ़ाणी में स्थित है जिसंका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि रोही कालेरा की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 2025/955, 956, 959 व खसरा नम्बर 2026/955 व खसरा नम्बर 1964/1352 में हिस्सा पांती वारिसान जांच रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त करने एवं रमजाना पत्नि मनीर के स्थान पर रमजाना पुत्री मनीर दर्ज शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश अता फरमाये। अप्रार्थी सख्या 1 को आदेश की पालना हेतू अलग से तहरीर जारी की जाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैराकार राज. ने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुद्ध करने की अनुंशषा की है।

लगातार....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

न पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकार्ड फर्द मौका रिसान जांच रिपोर्ट एव अन्य दस्तावेजात को बगौर देखा। गौण अप्रार्थीगण का हित प्रार्थी के समान है, हस्तगत प्रकरण राजस्व रेकार्ड में लिपिकीय त्रुटी को शुद्ध करवाने बाबत है जिससे अन्य किसी खातेदार अप्रार्थीगण का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रार्थी को सुन कर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और दस्तावेजात के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि रोही कालेरा की ढ़ाणी के खेत खसरा नम्बर 2025/955, 956, 959 व खसरा नम्बर 2026/955 व खसरा नम्बर 1964/1352 के राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी स. 2 का हित सुरक्षित रखते हूए प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण के हिस्सपांती अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे, रमजाना पत्नि मनीर के स्थान पर रमजाना पुत्री मनीर शुद्ध अंकित किया जावे। अप्रार्थी सख्या 1 तहसीलदार बीदासर को आदेश की पालना हेतू अलग से लिखा जावे। खर्चा पक्षकार प्रार्थी अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर